"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जून 2014— ज्येष्ठ 13, शक 1936

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-03/दो-गृह/सै. क./2013. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सैनिक कल्याण संचालनालय (तृतीय श्रेणी अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 9 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9क.	डाटा एण्ट्री आपरेटर	01	तृतीय श्रेणी	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400"

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 7 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों के संख्या का प्रतिशत.		टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा	विभागीय पदोन्नति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7 क.	डाटा एण्ट्री आपरेटर	01	100 प्रतिशत	-	-"

3. अनुसूची-तीन के कॉलम क्रमांक (2) में शीर्षक उच्च श्रेणी लिपिक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

विभाग का नाम	पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हतायें	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"डाटा एण्ट्री आपरेटर	18	30	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, **अथवा** कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा. (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)."	-

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 3rd June 2014

NOTIFICATION

No. F 12-03/2-Home/DSW/2013. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Directorate of Sainik Welfare (Class III Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1987, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,-

1. After serial number 9 and entries relating thereto of Schedule-I, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

S. No.	Name of the post included in the Service	Number of post	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9A.	Data Entry Operator	01	Class III	5200-20200 Grade pay 2400"

2. After serial number 7 and entries relating thereto of Schedule-II, the following Serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

S. No.	Name of the post	Number of post	Percentage of the number of duty posts to be filled in		Remarks
			By Direct Recruitment	By Departmental promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7A.	Data Entry Operator	01	100%	-	-"

3. After heading Upper Division Clerk in column (2) and entries relating thereto of Schedule-III, the following heading and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

Name of Department	Name of the post	Minimum age limit	Upper age limit	Educational Qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"Data Entry Operator	18	30	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year Examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Date Entry Operator /Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken)."	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EMIL LAKRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014